



2026:AHC:126457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19046/2026

शैलेंद्र चौधरी

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : संदीप कुमार मौर्य
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 0566/2025, धारा 109, 115 (2), 351 (3) और 117 बीएनएस, पुलिस स्टेशन-कैंट, जिला-बरेली के तहत दायर की गई है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह 13.02.2026 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक पर आरोप है कि उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर प्रथम शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी पर हॉकी स्टिक, धारदार हथियार, लातों और घूंसे से हमला किया। जांच पूरी होने के बाद आवेदक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। आवेदक के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका विस्तृत विवरण आवेदन के पैराग्राफ संख्या 30 में दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सह-आरोपी प्रवीणा देवी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 16.03.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 सीआरपीसी संख्या 2487/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी गई है। इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करने और एफआईआर, घायल व्यक्ति की चोट रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की सामग्री का अध्ययन करने के बाद, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
6. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **शैलेंद्र चौधरी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
 - (i) आवेदक किसी भी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
 - (iv) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (धारा 269 बीएनएस के समतुल्य) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी (संबंधित धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174ए आईपीसी (संबंधित धारा 209 बीएनएसएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 351 बीएनएसएस के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9 जून, 2026

अमित

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।